भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 282
गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत विमानन अवसंरचना

***282. श्री विजय कुमार दूबेः**
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत वर्ष के दौरान उड़ान योजना के अंतर्गत स्वीकृत और प्रचालनरत किए गए विमानपत्तनों, हेलीपोर्टों और जल हवाई अड्डों की संख्या कितनी है;

(ख) इनसे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी भी कमी के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट पहल की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने विमान कंपनियों के समक्ष विमान पट्टे और वित्तपोषण में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"उड़ान योजना के अंतर्गत विमानन अवसंरचना" के संबंध में श्री विजय कुमार दूबे और श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 20.03.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 282 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): पिछले वर्ष (2024) के दौरान 4 हेलीपोर्ट सहित कुल 12 एयरोड्रोम चालू किए गए हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी नहीं आई है।

(ग): हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. एयर कार्गो टर्मिनल ऑपरेटरों द्वारा नई एयर कार्गो सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा एयर कार्गो सुविधाओं के विस्तार से एयर कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

ii. वर्तमान में, देश में 71 एयर कार्गो सुविधा वाले हवाईअड्डे हैं, जिनमें से 49 हवाईअड्डे कार्गो की उच्च मात्रा को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए समर्पित एयर कार्गो टर्मिनलों से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, 22 हवाईअड्डे यात्री टर्मिनलों के माध्यम से कार्गो संचालन का प्रबंधन करते हैं, जो मुख्य रूप से कम कार्गो मात्रा वाले क्षेत्रों को सेवा प्रदान करते हैं।

iii. भारत के एयर कार्गो क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हो रहा है, जिसमें समर्पित कार्गो बुनियादी ढांचा वर्तमान में वार्षिक आधार पर 10.3 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) संभालने में सक्षम है।

iv. एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एण्ड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) ने हवाईअड्डों पर समर्पित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एयर कार्गो सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा, टियर-II और टियर-III शहरों में कम कार्गो मात्रा वाले हवाईअड्डों पर घरेलू यात्री टर्मिनल के माध्यम से घरेलू एयर कार्गो की आवाजाही की सुविधा प्रदान की जाती है।

v. एएआईसीएलएएस ने वित्त वर्ष 2025-26 में डिब्रूगढ़, दीमापुर, देहरादून, श्रीनगर, विजयवाड़ा, पटना, इंफाल और जोधपुर जैसे हवाईअड्डों पर नए एयर कार्गो टर्मिनलों की स्थापना करके एयर कार्गो क्षमता बढ़ाने वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इसके अलावा, एएआईसीएलएएस ने दिनांक 10 मार्च, 2025 को पटना हवाईअड्डे पर एक नवनिर्मित घरेलू एयर कार्गो सुविधा शुरू की है।

(घ): भारत सरकार ने विमान पट्टे और वित्तपोषण में एयरलाइनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विशेष रूप से वैश्विक विमान पट्टा बाजार में भारत की स्थिति को मजबूती देने के उद्देश्य से, जिसे जीआईएफटी सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के माध्यम से किया जाता है, कई अग्रसक्रिय उठाए हैं। आईएफएससीए के माध्यम से पट्टे पर देने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आयकर कानून, आईएफएससी इकाई के इक्विटी शेयरों को किसी अनिवासी अथवा आईएफएससी में विमान पट्टे के कारोबार में लगी किसी इकाई को इस शर्त के अधीन बेचने पर छूट प्रदान करता है कि आईएफएससी में परिचालन 1 अप्रैल 2026 को या उससे पहले शुरू हो गया हो और ऐसा पूंजीगत लाभ, आईएफएससी में घरेलू कंपनी द्वारा परिचालन शुरू करने के वर्ष से 10 वर्ष की अवधि के भीतर अथवा वित्त वर्ष 2034-35, जो भी बाद में हो, के भीतर उत्पन्न होता है (वित्त अधिनियम, 2023)।

ii. आयकर कानून आईएफएससी में विमान पट्टे के कारोबार में लगी इकाई को आईएफएससी में विमान पट्टे के कारोबार में लगी किसी इकाई से प्राप्त लाभांश के संबंध में छूट प्रदान करता है (वित्त अधिनियम, 2023)।

iii. आईएफएससी इकाइयों द्वारा अनिवासी शेयरधारकों को जारी किया गया लाभांश 10% (लागू अधिभार और उपकर के साथ) कर के अध्यधीन होगा (वित्त अधिनियम, 2023)।

iv. पहले 15 वर्षों के ब्लॉक में से लगातार 10 वर्षों की अवधि के लिए 100% कर अवकाश।

v. कर अवकाश के दौरान विमान के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ के लिए कर अवकाश बढ़ाया गया (वित्त अधिनियम, 2021)।

vi. विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रवासियों को किया गया ब्याज और रॉयल्टी का भुगतान, कर योग्य नहीं है। (वित्त अधिनियम, 2021)।

vii. वाणिज्य विभाग ने भारत में किसी भी सीमा शुल्क हवाईअड्डे, बंदरगाह अथवा लैंडिंग स्टेशन से आईएफएससी से विमानों के आयात, अधिग्रहण, आपूर्ति और निर्यात को सक्षम किया है।

viii. डीजीसीए ने आईएफएससी-आधारित विमान पट्टे पर देने वाले निकायों को विमान के आयात/अधिग्रहण के लिए किसी भी अनुमोदन/एनओसी से छूट दी है।

ix. डीजीएफटी ने अपनी आयात नीति के तहत आईएफएससी आधारित विमान पट्टे पर देने वाले निकाय द्वारा विमान के आयात की अनुमति दी है।

x. गुजरात सरकार ने आईएफएससी में विमान पट्टे और वित्तपोषण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की है।

xi. डीजीसीए ने भारत के भीतर विमानों के पंजीकरण/विपंजीकरण सहित देश में विमानों के हस्तांतरण/पुनः पट्टे की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए अपनी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) में संशोधन किया है।

*****